न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0 132 आर 15/08–09

जलेश्वर शाही एवं अन्य

बनाम

सधन मुण्डाईन

आदेश

29/07/11

यह अपीलवाद विशेष विनियमन पदाधिकारी का एस0 ए0 आर0 वाद सं0 103/04–05 में पारित आदेश, दिनांक 06.12.2006 के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
कमड़े	30	470	30½ कट्ठा

इस वाद में उभय पक्ष उपस्थित हुए है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दायर कागजातों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निम्न न्यायालय में प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। वाद खाता सं0 33 के लिये दायर किया गया जबकि आदेश खाता सं0 30 के लिये पारित किया गया है। निम्न न्यायालय में इन्हें सुना नहीं गया। अंचल पदाधिकारी, काँके द्वारा जमीन वापसी हेतु भेजे गये नोटिस से दिनांक 17.11.2008 को इन्हें वाद में आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि प्रश्नगत् भूमि को खतियानी रैयत द्वारा प्रश्नगत् भूमि को तत्कालीन जमींदार को इस्तीफा कर दिया गया था। तत्कालीन जमींदार ने सुखराम प्रसाद के साथ दिनांक 14.10.1945 को प्रश्नगत् भूमि की छपरबंदी बन्दोबस्त कर दी। उस वक्त उपायुक्त की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्नगत्

भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0 46/63–64, आदेश दिनांक 06.09.1964 द्वारा हुआ। सुखराम प्रसाद द्वारा निबंधित डीड के माध्यम से लालु प्रसाद चौधरी के साथ निबंधित डीड 5889, दिनांक 09.07.1980 द्वारा बिक्री कर दी गई। लालु प्रसाद चौधरी द्वारा पुनः इसी भूमि का निबंधित डीड दिनांक 25.10.1980 द्वारा श्रीमती बलबीर कौर को बिक्री कर दी गई उनके द्वारा रातु अंचल के दाखिल खारिज वाद सं0 467/84–85 के माध्यम से दाखिल खारिज हुआ। बलबीर कौर ने 02 कट्ठा 8 छटाक भूमि के निबंधित डीड सं0 11690, दिनांक 23.10.2002 द्वारा पक्की संरचना के साथ अपीलार्थी सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 02 तथा 09 तक के साथ निबंधित डीड के माध्यम से बिक्री कर दी। इन सभी तथ्यों को छुपाकर निम्न न्यायालय ने प्रतिवादी सं0 01 के द्वारा अपने पक्ष आदेश लिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सादा डीड को आधार मानकर आदेश पारित कर दिया गया जबकि हस्तांतरण निबंधित डीड के माध्यम से किया गया। इनके बातों को निम्न न्यायालय में नहीं सुना गया। निम्न न्यायालय इस बात की भी अनदेखी की गई कि भूमि हस्तांतरण के पश्चात् लगान तत्कालीन जमींदार को किया जाने लगा तथा जमींदारी उन्नमुलन के पश्चात् लगान संबंधित अंचल को अदा किया जाने लगा जबकि निम्न न्यायालय द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि जमाबंदी प्रतिवादी सं0 01 के नाम से चल रही है। अपीलार्थी का कहना है कि भूमि खेती योग्य नहीं है तथा छपरबंदी है। न्याय के दृष्टि में यह एस0 ए0 आर0 वाद चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि प्रश्नगत् भूमि पर संरचना है। यदि भूमि दखल दिलाई जाती है तो उक्त भूमि पर खेती नहीं किया जा सकता। इनका कथन था कि यह वाद हालांकि खारिज करने योग्य है परनतु जहाँ तक आदिवासी हितों की बात है उस स्थिति में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71'A' के द्वितीय परन्तुक के तहत् आदेश पारित किया जाना चाहिये।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि पर 40–50 वर्षो से मकान बना हुआ है। भूमि का उपयोग मकान के लिये ही किया जा सकता है खेती योग्य नहीं।

2017

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है अपीलार्थी सादा इस्तीफा के आधार पर दावा कर रहे है जो विधि मान्य नहीं है। इस भूमि पर अपीलार्थी का यह भी दावा था कि भूमि पर वर्ष 1969 के पूर्व की पक्की संरचना है, जिसके संबंध में भी कोई ठोस कागजी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं है।

अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
रॉंची।

20/7/11

अपर समाहर्त्ता
रॉंची।

486
5/08/11

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.13 20:18:39 +05:30
Location: 192.168.2.175